

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025

शिविर- 70-कार्री

प्रकरण संख्या:- 18/2025

दिनांक:- 24/6/2025

उपखण्ड

कमलेशी पुत्री

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार

राजस्वद्वय स्वामी शा-देह

चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का विन्धारी भू अ. नि. मानवाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम मानधीवी प0 ह0 विन्धारी की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 20 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>रहन</u>	<u>स्टेट बैंक ऑफ़ कीकनेट हंस जयपुर शमा स.भ</u>	<u>स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया शमा स.भ</u>

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री कमलेशी पुत्री राजस्वद्वय स्वामी शा-देह
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

